न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./03/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती फूल कंवर पुत्री अचलसिंह, जाति राजपुत, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम विरमदेवरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर। 2. श्रीमती आयल कंवर, पत्नी देवीसिंह, जाति राजपुत, निवासी रामेदवरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।	1. रूखमों कंवर पत्नी तेजसिंह, जाति राजपुत, निवासी विरमदेवरा, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर। 2. मोहन कंवर पत्नी माधोंसिह, जाति राजपुत, निवासी ग्राम विरमदेवरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर। 3. सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण, तहसील पोकरण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2000 बउनवान डुंगरसिंह बनाम अचलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2000 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री ईश्वरसिंह राठौड़ उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री अमरसिंह तंवर उतरदाता संख्या 02 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—09.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी डुंगरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम विरमदेवरा, पटवार हल्का रामदेवरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 105 रकबा 209.09 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 9.14 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 11 बीस्वा आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज–काश्त हैं। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी की जा रही है तथा वादीगण के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल, अजनबी क्रेता को बेचान करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 1 के पिता अचलसिंह का हिस्सा गलत मानकर एवं गलत तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। जिसके व्यथित होकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बावजूद बार–बार तलबी के भी अप्राप्त। माननीय उच्च न्यायालय के S.B. Civil Writ Petition No. 7483/2024 निर्णय दिनांक 01.05.2025 जिसकी प्रति वकील रेस्पों. संख्या 1 की ओर से अज अदालत को अत्यंत देरी से यथा अवधि सागाप्ति के तीन कार्य दिवस शेष रहते दिनांक 27.08.2025 को प्रस्तुत की गई। बाद उक्त प्रति प्राप्ति के उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को अर्द्ध–शासकीय पत्र लिख कर प्रकरण की वांछित मूल पत्रावली चाही गयी। इस हेतु दूरभाष पर भी पृथक से निवेदन किया गया। किन्तु आज दिनांक तक उपखण्ड अधिकारी, पोकरण से अर्द्ध–शासकीय पत्र का जवाब व मूल पत्रावली अप्राप्त। वकील उभयपक्ष पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बहस करने को सहमत होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश की पालना में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी डुंगरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम विरमदेवरा, पटवार हल्का रामदेवरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 105 रकबा 209.09 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 9.14 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 11 बीस्वा आराजी आई हुई है। जो कि वादी डुंगरसिंह पुत्र मानसिंह 1/2, अचलसिंह पुत्र मानसिंह 1/6, श्रीमती मोहनकंवर पत्नी माधोसिंह की संयुक्त खातेदारी थी। जिसकी अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन बाद नामान्तरकरण संख्या 180 मे उल्लेख अनुसार डुंगरसिंह के हिस्से में खसरा संख्या 29 रकबा 9.14 बीघा, खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी

105 रकबा 126.13 बीघा, अचलसिंह के हिस्से में खसरा संख्या 104 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 105/1 रकबा 9.16 बीघा व मोहनकंवर के हिस्से में खसरा संख्या 105/2 रकबा 72 बीघा दर्ज की गई है। जबकि 1/2 हिस्सा डुंगरसिंह का था, 1/2 हिस्सा अचलसिंह का था, जिसमें से डुगरसिंह द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा रूखमों कंवर को बेचान किया चुका एवं अपीलांट संख्या 1 फूलकंवर के पिता अचलसिंह का देहान्त हो जाने से जरिये फौतगी नामान्तरकरण फूलकंवर खातेदार दर्ज की गई एवं तत्पश्चात् फूलकंवर द्वारा खसरा संख्या 105/1 रकबा 9.16 बीघा अपीलांट संख्या 2 श्रीमती आयलकंवर को बेचान कर दी एवं उक्त बेचान की गई भूमि के पड़ौस दर्शाये गये है उक्त जमीन नेशनल हाईवे की चिपती भूमि होने से राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी अदा की व वर्तमान में अपीलांट संख्या 2 रेकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट संख्या 1 के पिता अचलसिंह का हिस्सा भी गलत मानकर एवं गलत दर्ज करते हुए हिस्सों को प्रभावित कर अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रत्रावली संख्या 36/2000 निर्णय दिनांक 27.03.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त उनवान एवं वाद संख्या की कोई पत्रावली कार्यालय रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताते हुए यह अंकन किया कि चाही गई पत्रावली इस कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने से प्रमाणित प्रतिलिप दी जानी संभव नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्पों व भू–माफियों द्वारा फर्जी तरीकों से रेकार्ड तैयार किया जाकर गलत तरीकों से अपनी मनमर्जी से भूमि की तरमीम दर्शाते हुए म्यूटेशन भी स्वीकृत करवा लिया एवं अब जहां पर अपीलांट्स काबिज काश्त है उस भूमि पर से उन्हें बेदखल कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। जिससे अपीलांट को बहुत अधिक नुकसान होगा व मुकदमों की बाहुल्यता बढेगी। क्योंकि वास्तव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय की आड़ में गलत तरमीम एवं बंटवारा किया गया है उस निर्णय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, संपूर्ण कार्यवाही बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नियमानुसार पारित नहीं की गई है क्योंकि ना तो अपीलाधीन निर्णय में राजस्व नियम 18 से 21 की पालना की गई है और ना ही कभी कोई प्राथमिक डिक्री जारी हुयी तथा ना ही उसकी पालना में कभी कोई राजस्व कर्मचारी मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने आये। जिससे अपीलाधीन निर्णय की वास्तविकता पर संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। अपीलांट संख्या 2 श्रीमती आयल कंवर की खातेदारी भूमि जो कि अपीलांट संख्या 1 श्रीमती फूलकंवर से खरीदा की जो रकबा 9.16

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बीघा, खसरा संख्या 105/1 पर शांतिपूर्वक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। जिस पर अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है उसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय विधि के विपरीत पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुरूप नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज करते हुए पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाया जावें।

रेस्पों. संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट के उक्त कथनों का समर्थन किया गया है।

रेस्पों. संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी जिसमें डुंगरसिंह का 1/2 हिस्सा व अचलसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी का था। प्रतिवादी संख्या 1 अचलसिंह का 1/2 हिस्से रकबा 137.07 बीघा में से 55 बीघा भूमि का बेचान उगमकंवर पत्नी डुंगरसिंह को कर दिया गया उसके बाद अचलसिंह के हिस्से में शेष आराजी 82.07 बीघा रही। जिसमें से अचलसिंह ने प्रतिवादी संख्या 2 मोहनकंवर को 72 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। जिसके बाद अचलसिंह के हिस्से में शेष 10.07 बीघा भूमि शेष रही। इसी अनुसार मौके पर पक्षकारान के मध्य आपसी बंटवारा किया हुआ है। जिसका विधिवत बंटवारा करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वादी डुंगरसिंह द्वारा अपीलाधीन वाद पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण बाद तलबी जरिये वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये। उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे–काश्त अनुसार बंटवारा करने हेतु सहमति बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा सहमत्ति जाहिर की गई। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिसको आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। जहां तक हिस्से को लेकन प्रश्न है उसके बारे में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सभी खातेदारों को कब्जा–काश्त के अनुसार बराबर–बराबर हिस्सों में विभाजन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त के संबंध में अपीलांट के कथनों का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। जिस पर खसरा संख्या 105 रकबा 209.09 बीघा, खसरा संख्या 29 रकबा 09.14 बीघा व खसरा संख्या 104 रकबा 11 बीस्वा कुल रकबा 219.14 बीघा भूमि में से अपीलाधीन बंटवारे अनुसार वादी डूंगरसिंह के हिस्से में 137.07 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 अचलसिंह के हिस्से में 10.07 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 मोहनकंवर के हिस्से में 72.00 बीघा भूमि घोषित की गई। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सहमत्ति प्रदान की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुये खसरा सख्या 29 रकबा 09.14 बीघा आवगी, खसरा संख्या 105 रकबा 209.19 बीघा में से 127.13 बीघा कुल 137.07 बीघा भूमि वादी के खातेदारी में तथा खसरा संख्या 104 रकबा 11 बिस्वा आवगी व खसरा संख्या 105 रकबा 209.09 बीघा में से 09.16 बीघा कुल 10.07 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में एवं खसरा संख्या 105 रकबा 209.19 बीघा में से 72 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में रखते हुए खातेदारी व घोषणा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2001 जारी किया गया। इसी आदेश की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है। जो पूर्णतया विधि संगत है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त विधि संगत अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 180 के जरिये हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बंटवारा करते हुए हिस्सों अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया गया है जो विधि संगत है। प्रतिवादी संख्या 1 अचलसिंह द्वारा अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है जिससे यह साबित होता है कि अपीलाधीन निर्णय उभयपक्षकारान की सहमति से पारित किया गया है। उक्त तरमीम एवं बंटवारे अनुसार सभी पक्षकारान का बहिस्सा सन् 2004 से लगातार कब्जा–काश्त शांति पूर्वक चला आ रहा है। अचलसिंह फौत होने पर अचलसिंह की एक मात्र वारिस पुत्री फूलकंवर का नाम राजस्व रेकार्ड में जरिये फौतगी म्यूटेशन के भरा गया। फूलकंवर अपीलांट संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज उक्त आराजी को जरिये बेचान दिनांक 29.06.2005 को अपीलांट संख्या 2 को पंजीबद्ध बेचान कर दिया। जिस पर वर्ष 2005 द्वारा अपीलांट संख्या 2 काबिज काश्त है। अपीलांट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 2 को उक्त बेचान की गई भूमि की एकमात्र खातेदार थी तो बेचान पत्र में भूमि का पड़ौस अंकित करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। किन्तु अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी दुरभि संधि करते हुए रेस्पों. संख्या 1

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसने अपीलांट संख्या 2 से पूर्व डूंगरसिंह से भूमि खरीद कर मौके पर काबिज काश्त था को सआशय नुकशान पहुंचाने की नियत से गलत रूप से अपने विक्रय पत्र में नेशनल हाईवे संख्या 15 का होना दर्शाया है। जिसका कोई विधिक औचित्य नहीं है। जहां तक हिस्सों का गलत या कम–ज्यादा करने का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी खातेदार का हिस्सा कम या ज्यादा अपनी मनमर्जी से नहीं किया गया है। बल्कि अचलसिंह द्वारा बार–बार किये गये बेचान के कारण ही अचलसिंह का हिस्सा कम हुआ है। जिससें अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन निर्णय 2001 में पीठासीन अधिकारी श्री एम.एम. व्यास के द्वारा पारित किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति डुंगरसिंह के पास उपलब्ध थी। जिसके आधार पर ही राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद किया गया है। जो प्रतिलिपि आज भी रेस्पों. संख्या 1 के पास मौजूद है। आज दिनांक में अपीलाधीन निर्णय की प्रश्नगत पत्रावली गुम हो गई या कहीं दब गई तो उसके आधार पर अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय को झूंठा कहना न्यायिक निर्णय का अपमान करने के समान है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलांट पक्षकार तक नहीं है। अपीलांट संख्या 2 खरीददार होने से अजनबी श्रेणी में आने के कारण अपीलांट संख्या 2 को भी विधि अनुरूप अपील पेश करने को कोई विधिक हक या अधिकार नहीं है। हस्तगत अपील पेश करने से पूर्व अज अदालत के समक्ष अपीलांट्स द्वारा आवश्यक पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे हस्तगत अपील विधि द्वारा बाधित होने से पोषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी रेकार्डेड खातेदार है। अपीलांट जरिये फौतगी नामान्तरकरण के हस्तगत आराजी की रेकार्डेड खातेदार दर्ज हुई है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सहवन से पेश करने से छूट गया था। इसलिये अपीलांट के मौखिक निवेदन को स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 96 अपील अनुमति के विन्दु पर वहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश करने से पूर्व अज अदालत के समक्ष अपीलांट्स द्वारा आवश्यक पक्षकार होने से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 के तहत अपील की अनुमति ली जानी विधि अनुसार आवश्यक होता है। जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव है। अपीलांट संख्या 1 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 105/1 में वर्तमान खातेदार भी नहीं है। इसलिये खसरा संख्या 105/1 में अपीलांट का कोई हक शेष नहीं रहा है। किन्तु अपीलांटगण द्वारा दुरभि संधि करके हस्तगत अपील पेश की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्तानुसार हस्तगत अपील विधि द्वारा बाधित होने से पोषणीय नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। तत्समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित प्रदान अवसर किया गया था। इसलिए सुनवाई के असवर संबंधित अपीलांट के उक्त कथनों का कोई सार नहीं है।

वकील उभयपक्ष की धारा 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में पक्षकार नहीं होने से आवश्यक पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने हेतु अपील अनुमति बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का पेश करना आवश्यक था। जो अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र हस्तगत अपील विधि द्वारा बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। लिहाजा अपीलांट द्वारा विधि अनुसार अपील पेश नहीं करने से हस्तगत अपील चलने योग्य नहीं ठहरती है। लिहाजा अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य ठहरती है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। रेस्पों. द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में अपने हिसाब से गलत तरमीम व बंटवारा करवाने के बाद मौके पर सड़क की भूमि पर काबिज होने व नया निर्माण करने का प्रयास किया जाने लगा एवं अपीलांट के कब्जा–काश्त में हस्तक्षेप करने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय व राजस्व रिकॉर्ड की नकल मांगी तब चाही गई पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रमाणित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिलिप दी जानी संभव नहीं का अंकन किया तब अपीलांट को उक्त गलत तरमीम एवं बंटवारे के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के वाद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलव विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व प्रतिवादी को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय मण्डल ने अपने अनेकों निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि विलम्ब का युक्ति–युक्त एवं उचित कारण नहीं दर्शाया गया है तो अपील पेश करने में हुए घोर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जावें। हस्तगत अपील पेश करने हुयी देरी का कोई सद्भाविक कारण अपीलांट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है अपीलांट के पिता वादी डूंगरसिंह के जीवन काल में वादी या अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय के बारे में कोई उज्र–ऐतराज दर्ज नहीं करवाया गया था। वादी डूंगरसिंह के देहान्त पश्चात् वादी की पुत्री अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। सुदीर्घ अवधि का कोई सद्भाविक कारण अज अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 20 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस निवेदन किया गया कि रेस्पों. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में टाईप शुदा निर्णय की प्रति पेश की है जो सुलभ संदर्भ हेतु अज अदालत को पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय हस्तलिखित है जबकि उक्त के उलट वकील रेस्पों. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पेश टाईपशुदा निर्णय की प्रति पेश की गई है जिसके तथ्य अपीलाधीन निर्णय से भिन्न हैं। उक्त अनुसार रेस्पों. अज अदलात के समक्ष गलत तथ्यों के साथ उपस्थित आए है।

वकील अपीलांट के उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए वकील रेस्पों. ने अज अदालत के समक्ष अपीलाधीन निर्णय की फोटो प्रति पेश की और निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय हस्तलिखित होने से माननीय उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को ही टाईप कर पेश किया गया है। जिसमें तथ्यों की भिन्नता का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा बहस के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बहस की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय में केवल हस्तलिखित निर्णय को टाईप शुदा करके सुलभ लेखन के आधार पर पेश किया गया है जिससे वकील अपीलांट के उक्त आपत्ति का कोई सार नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट पक्षकार नहीं थे। विधि अनुसार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश करने से पूर्व अपील अनुमति बाबत् धारा 96 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था जो नहीं किया गया है। साथ ही हस्तगत अपील बिना किसी सद्भाविक कारण के ही सुदीर्घ अवधि बाद पेश की गई है। उक्त अवधि लगभग 20 वर्षों का अर्थ एक पीढ़ी से है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अवधि में अनेक बदलाब संभव हैं उक्त तथ्यों के आधार पर अपील विधि द्वारा बाधित एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर